प्रेस विज्ञप्ति

31.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के परिवार के सदस्यों की नकदी, बैंक खाते की शेष राशि और जमीन के रूप में 17.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियां नारनौल,हरियाणा और जयपुर, राजस्थान में स्थित हैं।

ईडी ने अपहरण, हत्या, जबरन वसूली आदि के लिए सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू, सुरेंद्र सिंह चीकू के बहनोई विकास कुमार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू के लॉरेंस बिश्नोई और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ संबंध हैं। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू अपने गिरोह के सदस्यों के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई के अपराध के पैसे का प्रबंधन कर रहा था और अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी।

ईडी की जांच में मैसर्स निमावत ग्रेनाइट्स प्रा. लिमिटेड के माध्यम से नारनौल क्षेत्र में खनन कारोबार में सुरेंद्र सिंह चीकू की अवैध संलिप्तता के सबूत मिले। सुरेंद्र सिंह चीकू ने अपने आपराधिक प्रभाव का इस्तेमाल किया और अपने बहनोई विकास कुमार को मेसर्स निमावत ग्रेनाइट्स प्रा. लिमिटेड, एक कंपनी जो खनन व्यवसाय में लगी हुई है और उसे बखरीजा माइंस, नारनौल में खनन टेंडर दिया गया था, में निदेशक और शेयरधारक के रूप में पेश किया। इस सौदे के माध्यम से, सुरेंद्र सिंह चीकू और विकास कुमार ने बिना व्यावसायिक निवेश के 2.84 करोड़ रुपये की उगाही की। ईडी की जांच से पता चला कि खनन व्यवसायों से उगाही गई अपराध की आय को कानूनी बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त किया गया था, सामान्य अर्थव्यवस्था में लगाया गया और अचल संपत्तियों की खरीद और व्यक्तिगत उपभोग के लिए इस्तेमाल किया गया।

ईडी ने गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू के संरक्षण में किए गए खनन व्यवसायों से उगाही गई धनराशि का ठीक अनुमान लगाने के लिए खनन और राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में खनन क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण किया। यह सामने आया है कि उत्खनन के परिणामस्वरूप इन खदानों से 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक पत्थर निकाले गए हैं।

जांच के दौरान, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत 05.12.2023 को हरियाणा और राजस्थान में 13 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई, जहां अपराध की आय उसके बहनोई विकास कुमार और अन्य रिश्तेदारों और गिरोह के सदस्यों के माध्यम से निवेश की गई है। पीएमएलए की तलाशी के दौरान, विभिन्न अभियोगात्मक दस्तावेज, नकदी

बहीखाता, संपत्ति के कागजात और नकदी पाए गए और जब्त कर लिए गए। तलाशी कार्रवाई के बाद, ईडी को लगभग 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपराधिक आय के साथ, कुर्की के लिए उपलब्ध उतनी ही संपत्तियों का पता चला है।

जांच के दौरान, सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू को भी ईडी ने 21.02.2024 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है।

आगे की जांच जारी है।

(Photo of the mining site taken through drones during survey conducted)